इकबाल सिंह ...

अन्तर्गत धारा 212 आरटीए नम्बर 36 सन् 2024

जी.सी.एम.एस. नम्बर 2024 / 125

तामिल हुकम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
18.06.2024	प्रार्थी अधिवक्ता उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 को भेजे गए जरिए पंजीकृत डाक नोटिस की डिलिवर्ड रिपोर्ट पेश की। अप्रार्थी संख्या 1 ता 4 उपस्थित नहीं आए। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीए में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु निवेदन किया। प्रार्थी अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सुनी गई व पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में होना प्रतीत होता है। अतः इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा पारित की जाती है कि **अप्रार्थीगण** आगामी तारीख पेशी 24.07.2024 तक तहसील श्री करणपुर के **चक 21 ओ के मुरब्बा नम्बर 12 के किला नम्बर 10 ता 15 की कुल 1.518 हैक्टेयर भूमि की मौका व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाए रखे तथा इसका किसी प्रकार से बेचान, रहन एंव हस्तान्तरण नहीं करे।** यदि उक्त भूमि बैंक के रहन है तो बैंक मे राशि जमा कराने या अनापति प्रमाण पत्र प्राप्त करने व **राजस्थान कृषि साख परिचलन(कठिनाई निवारण) अधिनियम 1974 की कार्यवाही** पर उक्त स्थगन आदेश प्रभावी नही होगा। पत्रावली दिनांक 24.07.2024 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर
२५ 7/२४	प्रार्थीगण अधिवक्ता उपस्थित। अप्रार्थी संख्या 1 ता ५ की तलबी के नोटिस बाद तामील प्राप्त। रूक-रूक कर 3 बार आवाज लगवाई गई कोई उपस्थित नहीं आया। अप्रार्थी स. 1 ता ५ के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए जाते हैं। प्रार्थीगण अधिवक्ता को सुना गया व पत्रावली का अवलोकन किया गया। लिहाजा वादी/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अस्थायी निषेधाज्ञा दिनांक 18/06/२५ मूलवाद के निर्णय तक स्थायी की जाती है। पत्रावली निर्णीत होकर मूलवाद के साथ संलग्न हो। उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्री करणपुर

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) ★ श्री करणपुर (श्री गंगानगर) ★